न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—492 / 2011 / 223 (2011 / 00036)

1. हरदेव सिंह पुत्र बुद्धा, जाति भांभी, निवासी गनाहेड़ा, तह0 पुष्कर, जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. श्रीमती संतोष देवी धर्म पत्नी चिरंजीलाल टांक, निवासी थाने के पीछे, पुष्कर, तह0 पुष्कर, जिला अजमेर ।
2. श्रीमती मंजू सिंघल पत्नि गणेशीलाल, जाति अग्रवाल, निवासी 94 / 140, विजय पथ अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर ।
3. श्रीमती अनिता गार्गिया पत्नि महेन्द्र गार्गिया, जाति अग्रवाल, नि0 94 / 8, विजय पथ अग्रवाल फार्म मानसरोवर, जयपुर ।
4. कैलाशचंद पुत्र मिठुलाल, जाति माली, निवासी कोठी चावण्डिया, तहसील पुष्कर, जिला अजमेर ।
5. आशाराम पुत्र संग्राम, जाति जाट, निवासी डांगावास, तह0 मेड़ता, जिला नागौर ।
6. प्रभूराम पुत्र बफाराम, जाति प्रजापत, निवासी मेड़तासिटी, तह0 मेड़ता, जिला नागौर ।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर दिनांक 29.8.2011 अंतर्गत वाद संख्या 144 / 2009.

उपस्थितः—

1. श्री अजीतसिंह राठौड़, वकील अपीलांट ।
2. श्री सोहनपाल सिंह चौधरी, वकील रेस्पो0 संख्या 1.
3. श्री रोहित सोनी एवं श्री मोहित सोनी, वकील रेस्पो0 संख्या 2 व 3.
4. श्री एस0के0 व्यास, वकील रेस्पो0 संख्या 4.
5. रेस्पो0 संख्या 5 व 6 अनुपस्थित ।
6. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार रेस्पो0 संख्या 7.

निर्णय

दिनांकः— 14.2.2020

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के निर्णय एव डिक्री दिनांक 29.8.2011 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अधी0न्याया0 के समक्ष वादी / अपीलांट ने एक वाद अंतर्गत धारा 183—बी, 188 एवं 92—अ राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत पेश कर निवेदन किया कि अपीलांट अनुसूचित जाति का व्यक्ति है जिसकी गैर खातेदारी की आराजियात खाता संख्या 415 के खसरा नंबर 1882 रकबा 4—7—10 बा—3 एवं 1883

रकबा 0–1–0 बा–3 ग्राम गनाहेड़ा, उप–तह0 पुष्कर जिला अजमेर में स्थित है । उक्त वर्णित आराजियात अपीलांट की गेर खातेदारी की आराजियात है जिस पर अपीलांट कदीम से काश्त करता चला आ रहा है लेकिन रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 6 ने गैर कानूनी रूप से अपीलांट की आराजियात पर माह नवम्बर 2003 में एक साथ समूह बनाकर जबरन अतिक्रमण कर कब्जा कर लिया है । अतः वाद वादी स्वीकार कर वादी की गैर खातेदारी काश्तकारी की आराजियात से रेस्पो0 संख्या 1 से 6 को बेदखल कर विवादित आराजियात रेस्पो0 से खाली करवाकर रेस्पो0 द्वारा मुर्तिब चाारदीवारी ध्वस्त कर कृषि भूमि की शक्ल में अपीलांट को मौके पर कब्जा सौंपा जावे एवं तत्पश्चात् रेस्पो0 को अपीलांट के कब्जे काश्त में दखलदांजी एवं मदाखलत उत्पन्न करने, पश्चात्वर्ती अतिक्रमण करने, भूमि की शक्ल परिवर्तन करने, निर्माण कार्य करवाने से जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे । उक्त वाद के विचाराधीन रहते प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 प्रस्तुत कर कथन किया गया कि वादी द्वारा उक्त वाद धारा 183–बी राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत प्रस्तुत किया गया है जिसकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार उपखण्ड अधिकारी को नहीं होकर तहसीलदार को तथा धारा 188 व 92–ए का वाद मात्र खातेदार ही ला सकता है जबकि वादी गैर खातेदार है । अतः वाद निरस्त किया जावे । विद्वान अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 29.8.2011 द्वारा प्रतिवादी/रेस्पो0 संख्या 1 का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 स्वीकार कर वादी/अपीलांट का वाद निरस्त कर दिया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में निवेदन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । वादी/अपीलांट द्वारा अधी0न्याया0 क`समक्ष वाद अंतर्गत धारा 183–बी, 188 व 92–ए राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत प्रस्तुत किया गया है जिसकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार अधीनस्थ न्यायालय में निहित है क्योंकि धारा 188 व 92–ए राज0काश्त0अधि0 के तहत वाद की सुनवाई का अनन्य क्षेत्राधिकार उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर में ही निहित है । ऐसी स्थिति में धारा 183–बी एवं स्थाई निषेधाज्ञा की दादरसी हेतु पृथक–पृथक न्यायालयों के समक्ष वाद प्रस्तुत नहीं किया जा सकता था । इसीलिये स्थायी निषेधाज्ञा के वादपत्र के साथ बेदखली हेतु वादपत्र की सुनवाई का क्षेत्राधिकार अधी0न्याया0 में निहित थ लेकिन उनके द्वारा महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दु को नजरअंदाज कर आदेश अंतर्गत अपील पारित किया है जो काबिल निरस्तनीय है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि तहसीलदार को मात्र धारा 183–बी राज0काश्त0अधि0 के तहत वाद पत्र सुनवाई का क्षेत्राधिकार निहित है अर्थात् उसमें धररा 188 व 92–ए राज0काश्त0अधि0 के तहत वादपत्र की सुनवाई का क्षेत्राधिकार निहित नहीं है । ऐसी स्थिति में अधी0न्याया0 के समक्ष प्रस्तुत वादपत्र की सुनवाई का क्षैत्राधिकार उपखण्ड अधिकारी में निहित था । इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दु को अधी0न्याया0 ने नजरअदांज कर अपीलाधीन निर्णय पारित करने में त्रुटि कारित की है । बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 के समक्ष वाद प्रस्तुत करने के पश्चात् अधी0न्याया0 द्वारा अंकित रिपोर्ट में भी वादपत्र0 की सुनवाई का क्षेत्राधिकार अधी0न्याया0 ममें ही निहित होना माना गया है जिसके विरूद्ध रेस्पो0 द्वारा सक्षम न्यायालय ममें चाराजोही नहीं की गई है जिससे रेस्पो0 का उक्त

अधिकार वेव हो चुका था ऐसी स्थिति में रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष जरिये प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 उक्त बिन्दु बाबत् पेश नहीं किया जा सकता था । राज0काश्त0अधि0 की धारा 14 में काश्तकारों के वर्ग प्रावधित किये गये है जिसमें गैर खातेदार अभिधारी भी शामिल है जिससे राज0काश्त0अधि0 1955 की धारा 188 व 92–ए में वादपत्र प्रस्तुत करने का वादी को पूर्ण अधिकार है फिर भी अधी0न्याया0 ने धारा 14 राज0काश्त0अधि0 के प्रावधानों को नजरअदांज कर उक्त प्रावधान के विपरीत आदेश अंतर्गत अपील पारित किया है जो काबिल निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री दिनांक 29.8.2011 निरसत किया जावे तथा वादी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद बाद गवाहान गुणावगुण पर निर्णय किये जाने हेतु अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किया जावे ।

5. विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने बहस में निवेदन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का निर्णय विधिसम्मत् है । वादी/अपीलांट ने अधी0न्याया0 के समक्ष वाद धारा 183–बी राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत प्रस्तुत किया है जिसे सुनने का क्षैत्राधिकार अधी0न्याया0 को नहीं है क्योंकि धारा 183–बी से संबंधित प्रकरण को सुनने का क्षैत्राधिकार केवल मात्र तहसीलदार को ही है । वादी ने वाद धारा 188 व 92–ए राज0काश्त0अधि0 के तहत भी पेश किया है तथा अपने वादपत्र के पैरा संख्या 2 में स्वंय यह अंकित किया है कि वाद वर्णित आराजियात वादी की गैर खातेदारी की है जिससे भी स्पष्ट है कि धारा 188 व 92–ए का वाद केवल खातेदार ही प्रस्तुत कर सकता है जबकि हस्तगत प्रकरण में वादी विवादित आराजियात का खातेदार न होकर गेर खातेदार है जिससे भी वादी का वाद चलने योग्य नहीं है । वादी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद बार्ड बॉय लॉ होकर अधी0न्याया0 में चलने योग्य नहीं होने से अधी0न्याया0 ने प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 स्वीकार कर वादी का वाद निरस्त किया है जो विधिसम्मत् निर्णय है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 29.8.2011 में वादी द्वारा प्रस्तुत वाद राज0काश्त0अधि0 1955 की धारा 183–बी के तहत अनुतोष हेतु प्रस्तुत किये जाने तथा इस धारा 183–बी के अंतर्गत अधी0न्याया0 को क्षैत्राधिकार नहीं होने तथा इस कारण वाद के संधारण योग्य नही होने के कारण आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए वादी का वाद खारिज किया गया है । रिकार्ड अवलोकन से यह जाहिर है कि वादी द्वारा वादी धारा 183–बी राज0काश्त0अधि0 1955 के अतिरिक्त धारा 188 व 92–ए के तहत भी प्रस्तुत किया गया था । अधी0न्याया0 का यह निष्कर्ष सही है कि धारा 183–बी राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत अनुतोष अधी0 न्यायालय के क्षैत्राधिकार में नहीं है तथा इसके तहत वांछित कार्यवाही हेतु संबंधित तहसीलदार ही राज0काश्त0अधि0 की धारा 183–बी के तहत सक्षम है परन्तु धारा 188 राज0काश्त0अधि0 के तहत स्थाई निषेधाज्ञा का वाद राज0काश्त0अधि0 में वर्णितानुसार कोई भी व्यक्ति ला सकता है । राज0काश्त0अधि0 की धारा 14 में काश्तकारों के वर्ग निर्धारित किए हुए है जिसमें गैर खातेदार को भी कृषक की श्रेणी में माना गया है । राज0काश्त0अधि0 1955 की धारा 92–ए के तहत कोई भी व्यक्ति एवं धारा 188 राज0काश्त0अधि0 के तहत कोई भी कृषक अपनी भूमि एवं अधिकारों की सुरक्षार्थ स्थाई निषेधाज्ञा हेतु दावा लाने हेतु सक्षम है । वादी/अपीलांट द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष वाद अंतर्गत धारा 183–बी के साथ–साथ 188 एवं 92–ए राज0काश्त0अधि0 के तहत प्रस्तुत किया गया है एवं वादपत्र में अनुतोष

''ब'' प्रतिवादी / रेस्पो0 के विरूद्ध विवादित आराजी के संदर्भ में स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया है । ऐसी स्थिति में अधी0न्याया0 के समक्ष वाद आंशिक रूप से ही धारा 183–बी के अनुतोष से संबंधित होने के कारण विधि द्वारा वर्जित था किन्तु अधी0न्याया0 ने संपूर्ण वाद को ही विधि द्वारा वर्जित मानते हुए संपूर्ण वाद को निरस्त करने में विधिक त्रुटि कारित की है । इस कारण अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय विधिसंगत नहीं माना जा सकता है एवं अपील आंशिक स्वीकार योग्य होकर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य होकर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद धारा 188 व 92–ए राज0काश्त0अधि0 के तहत पोषणीय होकर अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

7. अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29.8.2011 को निरस्त किया जाता है तथा अधी0न्याया0 द्वारा धारा 183–बी राज0काश्त0अधि0 के संबंध में पारित निर्णय व डिक्री की सीमा तक यथावत् रखा जाता है एवं धारा 183–बी राज0काश्त0अधि0 के तहत अनुतोष हेतु अपीलांट संबंधित तहसीलदार के समक्ष चाराजोही करने हेतु स्वतंत्र है। प्रकरण अधी0न्याया0 को उपरोक्त विवेचन के क्रम में प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि वाद में धारा 188 एवं धारा 92–ए राज0काश्त0अधि0 1955 के संबंध में उभयपक्ष को साक्ष्य, सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वाद को गुणावगुण पर निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 14.2.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर